भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4365

22 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

कोरोना महामारी के दौरान इस्पात की मांग में गिरावट

4365. श्री एस मुनिस्वामी:

डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक कोरोना महामारी के कारण इस्पात उत्पादों की मांग में भारी गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इससे कोई राज्य अत्यधिक प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो विशेष रूप से तमिनलाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के मामले में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने हेतु कोई कार्य योजना/पैकेज तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): देश में तैयार इस्पात की माँग/खपत में अप्रैल से जून, 2020 की अवधि के दौरान कोरोना महामारी के कारण तेजी से कमी आई थी। सरकार द्वारा उठाए गए अनुक्रमिक अनलॉकिंग उपायों से तैयार इस्पात की खपत में तब से काफी सुधार आया है और हाल के महीनों में पिछले वर्ष के स्तर को भी पार कर लिया है। अप्रैल, 2020 - फरवरी, 2021 तथा विगत वर्ष की समान अवधि के दौरान तैयार इस्पात की खपत का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

तैयार इस्पात की खपत (मिलियन टन में)		
माह	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**
अप्रैल	7.33	1.09
मई	8.85	4.79
जून	8.59	6.35
जुलाई	8.57	7.69
अगस्त	9.19	8.16
सितंबर	8.45	8.46
अक्टूबर	8.83	9.38*
नवंबर	7.77	9.17*
दिसंबर	8.65	10.16*
जनवरी	9.17	9.70*

फरवरी	8.55	9.13*
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *अनंतिम		

(ख): खपत के राज्य-वार आंकड़े को अनुरक्षित नहीं किया जाता है। हालांकि, विभिन्न राज्य कोरोना महामारी से संबंधित लॉकडाउन प्रतिबंधों और संबद्ध व्यवधानों जैसे कि कच्चे माल का अभाव, परिवहन से संबंधित समस्याओं, श्रमशक्ति की सीमित उपलब्धता और तैयार इस्पात की घटी हुई माँग से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

(ग): कोविड-19 महामारी को देखते हुए, स्वदेशी इस्पात के उत्पादन, उपलब्धता तथा खपत को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) इस्पात मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान उद्योग संघों और घरेलू इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ कई बार विचार-विमर्श किए ताकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उनकी समस्याओं को उठाकर उनका निपटान किया जा सके। गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों से इस्पात उत्पादन में पुनः तेजी लाने में सुविधा मिली है। इस्पात मंत्रालय ने देश में इस्पात की समग्र माँग को बढ़ाने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ निम्नलिखित वेबिनारों का भी आयोजन किया है:

(क) तेल और गैस क्षेत्र, 16 जून 2020
(ख) इस्पाती इरादा: इस्पात के उपयोग को बढ़ाना, 30 जून 2020
(ग) आवासन और नागर विमानन क्षेत्र, 18 अगस्त 2020
(घ) कृषि, ग्रामीण विकास, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, 20 अक्टूबर, 2020

(ii) स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से 31 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। न्यूनतम मूल्यवर्धन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है तथा अब यह नीति 5 लाख रुपये से ऊपर की सभी खरीद के लिए लागू है एवं इसमें अन्य परिवर्तनों के साथ-साथ ईपीसी संविदाएं भी शामिल हैं।

(iii) देश में पूँजीगत निवेश को आकर्षित करने तथा विशेषीकृत इस्पात के उत्पादन में सहायता करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत 'विशेषीकृत इस्पात' को शामिल किया गया है।

(iv) सरकार ने दिनांक 01.10.2020 की अधिसूचना के माध्यम से स्वदेशी इस्पात उत्पादकों द्वारा ईईपीसी के एमएसएमई सदस्यों को निर्यात समतुल्य मूल्य पर इस्पात की 4 उत्पाद श्रेणियों (हॉट रोल्ड क्वायल, कोल्ड रोल्ड क्वायल, वायर रॉड्स एवं अलॉय स्टील बार्स) उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की है।

****